न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 35/2025

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार मेडता जिला नागौर।		1 बंशीलाल पुत्र नैनाराम 2 प्रेमचंद पुत्र नैनाराम 3 रामदयाल पुत्र नैनाराम जातियान खटीक निवासीगण खटीकों का मोहल्ला मेडता, तहसील मेडता, जिला नागौर। 4 भिकाराम पुत्र शंकरलाल जाति गवारिया निवासी भैरून्दा, जिला नागौर। 5 भीयाराम पुत्र शंकरलाल जाति गवारिया निवासी भैरून्दा, जिला नागौर। 6 रामकिशोर मेघवाल पुत्र गुलाबराम जाति मेघवाल निवासी सुरियास तहसील रियांबडी

उपस्थिति :–

1. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री धनपत सांगवा अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 की ओर से।
3. श्री मधुर सिखवाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4 से 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 29.01.2026

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मेडता द्वारा प्रकरण संख्या 01/2024 में निर्णय दिनांक 10.10.2024 से असंतुष्ट होकर दिनांक 22.04.2025 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 25.04.2025 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 की ओर से श्री धनपत सांगवा तथा रेस्पोडेंट संख्या 4 से 06 की ओर से श्री मधुर सिखवाल अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.10.24 की फोटोप्रति, कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) नागौर के पत्र दिनांक 07.04.25 की फोटोप्रति पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि उपर्युक्त अनवान में न्यायालय तहसीलदार मेडता ने रिट याचिका 9219/2023 की पालना में न्यायालय तहसीलदार मेडता में रिमाण्ड प्रकरण 01/2024 दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड राज्य सरकार के परिपत्र, अधिनियम एवं न्यायालय हाजा के पूर्व रिमाण्ड प्रकरण 11/2008 के निर्णय के आधार पर पूर्व में दर्ज खातेदरों के नाम भूमि खसरा नम्बर 3335/3 रकबा 9 बीघा पर यथावत रखने का निर्णय 10/10/2024 को किया गया। माननीय जिला कलक्टर (भू.अ.) महोदय नागौर के पत्रांक भू.अभि./2025/2971 दिनांक 07.04.2025 में तहसीलदार मेडता को रिमाण्ड प्रकरण 01/2024 में पारित आदेश दिनांक 10/10/2024 के विरूद्व अपील दायर की कार्यवाही सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस प्रकार अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई है। अपीलांट राज्य सरकार के प्रतिनिधि लोक सेवक होने से अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी अवधि की माफी फरमाई जावे तथा अपीलांट की उक्त अपील समयावधि में शुमार फरमाई जावे। अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र तस्दीकसुदा प्रस्तुत किया गया है। जो माकूल आधार पर प्रतीत होता है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। अंतिम बहस शुरू करते हुए वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(I)– ग्राम मेडता, तहसील मेडता जिला नागौर की जमावंदी सम्वत 2053 से 2056 में रेस्पोडेंट श्री बंशीलाल, प्रेमचंद, रामदयाल पुत्रान श्री नैनाराम मिसरकी वेवा नैनाराम भूमि खसरा नम्बर 3335/3 रकबा 9 बीघा के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार थे। उक्त भूमि के नए खसरा नम्बर 3814 है।

{2}(II)–देवस्थान विभाग शासन सचिव श्री अशोक शेखर के द्वारा समस्त जिलाधीश को जारी पत्र क्रमांक संख्या 12(22) देव/91 जयपुर दिनांक 06.03.2003 के आधार पर नामान्तरण संख्या 3853 दिनांक 15.07.03 दर्ज कर स्वीकृत किया गया। जिससे भूमि खसरा संख्या 3335/3 को डोली बनाम मन्दिर श्री चारभूजा के नाम कर दिया।

{2}(III)–ग्राम मेडता, तहसील मेडता, जिला नागौर के अन्य भूमि खसरा संख्या 3335/3 मिन रकबा 7 बीघा को नामान्तरकरण संख्या 3837 के द्वारा पुनः खातेदार से डोली बनाम मन्दिर श्री चारभुजा के नाम दर्ज किया गया था। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्व खातेदार श्री रतनाराम ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एक रिट याचिका 1139/2008 उनवान रतनाराम बनाम राजस्थान सरकार पेश की। इस याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने नामान्तरकरण संख्या 3837 की प्रविष्टि को रद्द करते हुए खातेदार को नए सिरे से नोटिस जारी कर सुनवाई करते हुए निस्तारण करने हेतु तहसीलदार मेडता को आदेशित किया। इस आदेश की पालना में न्यायालय तहसीलदार मेडता में रिमाण्ड प्रकरण 11/2008 दर्ज कर नामान्तरकरण संख्या 3837 से पूर्व दर्ज खातेदारों के नाम यथावत रखने का निर्णय किया गया।

{2}(IV)–खसरा नम्बर 3335/3 रकबा 9 बीघा तथा खसरा नम्बर 3335/3 मिन रकबा 7 बीघा मूलरूप से एक ही खसरा नम्बर 3335/3 रकबा 16 बीघा के भाग है। इस कारण रेस्पोडेंट श्री बंशीलाल वगैरह ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एक रिट याचिका 9219/2023 नामान्तरकरण संख्या 3853 के विरूद्व पेश की। उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने रेस्पोडेंट के प्रार्थना पत्र को सिविल रिट याचिका 1139/2008 के आधार पर निस्तारित करने हेतु तहसीलदार मेडता को आदेशित किया।

{2}(V)– रिट याचिका 9219/2023 की पालना में न्यायालय तहसीलदार मेडता में रिमाण्ड प्रकरण 01/2024 दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड, राज्य सरकार के परिपत्र, अधिनियम एवं न्यायालय हाजा के पूर्व रिमाण्ड प्रकरण 11/2008 के निर्णय के आधार पर पूर्व में दर्ज खातेदारों के नाम भूमि खसरा नम्बर 3335/3 रकबा 9 बीघा पर यथावत रखने का निर्णय 10/10/2024 को किया गया।

{2}(VI)– माननीय जिला कलक्टर (भू.अ.) महोदय नागौर के पत्रांक भू.अभि./2025/2971 दिनांक 07.04.2025 में तहसीलदार मेडता को रिमाण्ड प्रकरण 01/2024 में पारित आदेश दिनांक 10/10/2024 के विरूद्व अपील दायर की कार्यवाही सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

{3}–वकील अप्रार्थी संख्या 04 से 06 ने अपनी बहस में बताया कि उक्त अपील मियाद बाहर पेश की है तथा उक्त आदेश तहसीलदार मेडता द्वारा ही पारित किया गया है, तथा तहसीलदार ने ही उक्त अपील न्यायालय हाजा में पेश की है। तहसीलदार को यह अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में स्वीकृत किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने S.B. Civil Writ Petition No. 9219/2023 में दिनांक 01.08.2023 को यह निर्देशित किया था कि तहसीलदार उत्तरदाताओं के प्रतिनिधित्व का निस्तारण रत्नाराम बनाम राजस्थान राज्य के फैसले को ध्यान में रखते हुए विधि अनुसार करेंगे। विधि अनुसार निस्तारण का अर्थ यह है कि राजस्व रिकॉर्ड, देवस्थान विभाग के परिपत्रों और भूमि की प्रकृति (डोली/मंदिर भूमि) का सूक्ष्म परीक्षण किया जाए।

अपर कलक्टर, नागौर

अधीनस्थ न्यायालय (तहसीलदार मेडता) ने दिनांक 10.10.2024 को आदेश पारित करते समय राज्य सरकार (देवस्थान विभाग) के हितों और उक्त भूमि के धार्मिक स्वरूप (डोली भूमि) से जुडे विधिक प्रावधानों की अनदेखी की है। डोली/मंदिर माफी की भूमियों का हस्तांतरण अथवा नाम परिवर्तन बिना पुख्ता विधिक साक्ष्यों और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के किया जाना न्यायोचित नहीं है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में पूर्व के नामांतरण संख्या 3853 के आधारों पर पर्याप्त रूप से विवेचित नहीं किया गया है।

तहसीलदार ने खसरा नम्बर 3335/3 (रकबा 9 बीघा) के संबंध में उतरदाताओं के नाम पूर्ववत रखने का निर्णय लेते समय यह स्पष्ट नहीं किया कि नामान्तरण संख्या 3853 किस प्रकार अवैध था। बिना पर्याप्त विधिक साक्ष्यों के राज्य सरकार के नाम दर्ज भूमि को निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज करना क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करना प्रतीत होता है।

तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 10.10.24 में केवल रत्नाराम के फैसले का उल्लेख किया, परन्तु देवस्थान विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 22(22)देव/91 दिनांक 06.03.2003 के आधार पर हुए नामांतरकरण संख्या 3853 की वैधता पर विचार नहीं किया। मंदिर की डोली भूमि के राजस्व रिकॉर्ड परिवर्तन करने से पूर्व राज्य सरकार (देवस्थान विभाग) का पक्ष सुना जाना अनिवार्य था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअंदाज किया है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार मेडता के प्रकरण संख्या 01/2024 में पारित निर्णय दिनांक 10.10.2024 अपास्त किया जाता है।

{6}– निर्णय आज दिनांक 29.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

29/1/26

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर